10/1/24

आज अग्रेतर पत्रावली वकील वादी द्वारा दीप्ति चतुर्वेदी के प्रार्थना पत्र पर पेश की

इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते।

10.1.2024

मे ली गयी। वादी व वकील वादी उपस्थित।
उन्होंने जाहिर किया कि प्रकरण मे कोई कार्यवाही
नही चाहते अतः इसी स्तर खारिज किया जाये।
उपस्थित को सुना गया। इनके निवेदन पर
यह वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
निर्णय में सुधार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)